दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

डी.टी.सी. कालोनी, जेल रोड, (हरी नगर बस डिपो के सामने), दिल्ली–110064
फोन: 25497[illegible]0, 25497152 फैक्स: 25492403 वेबसाइट: www.dlwb.delhigovt.nic.in

दिल्ली के सभी नियोक्ता ध्यान दें!

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने श्रमिकों/कामगारों तथा उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए दिनांक 15.12.1986 की अधिसूचना द्वारा "बंबई श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1953" के प्रावधानों को दिल्ली में लागू किया है। इसके अनुसरण में दिल्ली सरकार द्वारा 17.1.2002 को दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड का गठन किया गया एवं 13.07.2004 को "दिल्ली श्रम कल्याण निधि" को अधिसूचित किया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई भी दुकान, फैक्ट्री, संस्थापना जिसमें पिछले 12 महीनों के दौरान किसी भी कार्यदिवस को पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को काम पर लगाया है, उसके लिए निम्नलिखित जमा कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है:–

1) प्रत्येक 6 महीने में प्रति कर्मचारी 2.25 रुपए की दर से नियोक्ता का अंशदान
2) प्रत्येक 6 महीने में प्रति कर्मचारी 75 पैसे की दर से कर्मचारियों का अंशदान
3) कर्मचारियों की अप्रदत्त एकत्रित संचित राशि
4) कर्मचारियों से उगाहा गया जुर्माना

कृपया यह ध्यान में रखा जाए कि "दिल्ली श्रम कल्याण निधि" की अधिसूचना के पश्चात किसी भी नियोक्ता को कर्मचारी से उगाही गई जुर्माने की राशि एवं कर्मचारियों की अप्रदत्त/अदावाकृत संचयी राशि संस्था के पास रखने का अधिकार नहीं है और उसे "दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड" के पास जमा करवाना अनिवार्य है।

अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना है कि जुलाई 2005 से दिसम्बर 2005 तक कर्मचारियों का अंशदान उनके दिसम्बर 2005 के वेतन में से काटा गया है और बोर्ड के पास नियोक्ता के अंशदान सहित 15 जनवरी 2006 तक जमा कर दिया गया है।

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत देय राशि को जमा न करने पर पहले तीन महीने के लिए एक प्रतिशत प्रति माह की दर से दण्डात्मक ब्याज लिया जाएगा, तत्पश्चात दण्डात्मक ब्याज 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से लिया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड को देय राशि भूमि राजस्व के बकाया के वसूली योग्य माना जाएगा।

प्रत्येक नियोक्ता को सलाह दी जाती है कि वे सांविधिक देय राशियां पंजाब नैशनल बैंक की निम्नलिखित शाखाओं; 1. ओखला इंडस्ट्रियल एरिया 2. पटपड़गंज 3. शाहदरा 4. वजीरपुर 5. आजादपुर 6. नांगलोई 7. नजफगढ़ 8. करोल बाग 9. साउथ एक्सटेंशन 10. हरी नगर में "दिल्ली श्रम कल्याण निधि" के पक्ष में जमा करायें। बैंक रसीद की प्रति फार्म 'ए' के साथ बोर्ड के कार्यालय डीटीसी कालोनी, जेल रोड, (हरी नगर बस डिपो के सामने), नई दिल्ली–110 064 में 15 जनवरी 2006 तक अवश्य जमा करवाए ताकि वे नियमानुसार किसी कानूनी कार्रवाई से बच सकें।

डॉ. ओंकार शर्मा
कल्याण आयुक्त

DIP/1625/2005-06

HINDUSTAN-26 12/05